UPRB010028772025

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– (श्रीमती प्रतिमा)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02637**

दाण्डिक निगरानी सं०–162/2025

1– मुश्ताक अहमद आयु 62 साल पुत्र रमजान निवासी ग्राम केसरिया, थाना कोतवाली जायस, जनपद अमेठी।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।
2– नईम खॉ पुत्र रमजान खॉ उम्र 55 वर्ष
3–अमीन खॉ पुत्र रमजान खॉ उम्र 47 वर्ष
4– यासीन खॉ पुत्र अमीन खाँ उम्र 22 वर्ष
5–नाजिम खॉ पुत्र अमीन खाँ उम्र 20 वर्ष
6–जुबेर पुत्र कयूम उम्र 32 वर्ष
7–सुहेल पुत्र कयूम उम्र 35 वर्ष
8–जुनैद पुत्र कयूम उम्र 25 वर्ष
9–चन्दू पुत्र नसीम उम्र 25 वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम केसरिया सलीमपुर, थाना कोतवाली जायस, जिला अमेठी।

...प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण

निर्णय

1– न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, रायबरेली द्वारा परिवाद सं०–757/2023 मुस्ताक अहमद बनाम नईम व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 18.02.2025 के विरूद्ध यह निगरानी संदर्भित वाद की परिवादिनी द्वारा सत्र न्यायाधीश, रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण वास्ते इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया।

2– अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.02.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता/ परिवादी मुस्ताक अहमद द्वारा प्रस्तुत परिवाद (परिवाद सं०–757/2023 मुस्ताक अहमद बनाम नईम आदि) को खारिज किया गया है।

3– निगरानीकर्ता का कथन है कि आदेश दिनॉक–10.08.2022 के विरूद्ध प्रतिपक्षीगण ने दाण्डिक निगरानी संख्या–260/2022 पुनरीक्षण न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के यहाँ दायर की गयी जिसमें माननीय अपीलीय न्यायालय एवं दाण्डिक न्यायालय में निगरानी स्वीकार की गयी व प्रश्नगत आदेश दिनॉक–10.08.2022 अपास्त किया गया, और पत्रावली को पुनः विचार हेतु अधीनस्थ न्यायालय को 20.1.2023 को विचार हेतु वापस किया गया कि अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि समस्त साक्ष्य का अवलोकन एवं परिशीलन करने के उपरांत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवादी के परिवादपत्र के सम्बन्ध में विधि–

अनुसार आदेश पारित किया जाना सुनिश्चत करे"। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली पर मौजूद सा–क्षियों के बयान 200 द०प्र०सं० व 202 द०प्र०सं० में साक्षियों के बयान का अवलोकन किया गया, और धारा–202 (1) द०प्र०सं० के तहत थानाध्यक्ष जायस को अन्वेषण कराये जाने हेतु आदेशित किया गया अन्वेषण आख्या में जॉच अधिकारी द्वारा घटना के विषय में बयान मुश्ताक अहमद, बयान अभियुक्तगण लेने के पश्चात अन्वेषण अधिकारी ने अपनी राय व्यक्त किया कि घटना सत्य है. इसके पश्चात भी न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने अपने द्वारा कराई गयी जॉच रिपोर्ट को न ध्यान देते हुए तथा उस जॉच का महत्व न समझते हुए गवाहों के बयानों पर टिप्पणी करते हुए उप–रोक्त परिवाद को 203 द०प्र०सं० के अन्तर्गत खारिज कर दिया, जबकि जिस पुलिस अधिकारी को जाँच के लिए कहा गया था, उसने घटना को सत्य होना बताया इस स्तर पर उपरोक्त घटनाक्रम को खारिज कर देना विधिक भूल है, क्योकि मारपीट के साथ–साथ सामान का तोड़–फोड़ जैसे कूलर, आलमारी और घर के बर्तनों को तोड़ देना और अनाज को बिखेर देना यह एक अपूर्णनीय रिस्टी है तथा गाली देना और घर में घुसकर उपरोक्त घटना कारित करना 202 (1) द०प्र०सं० में जॉच तथा साक्षियों के बयान के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि घटनाकम झूठा नही है, सही है और उसे 203 द०प्र०सं० में समाप्त कर न्यायालय ने विधिक भूल की है। अवर न्यायालय द्वारा पारित अपेक्षित आदेश विधि विधान एवं प्रचलित विधि सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित आदेश विधि–विधान एवं प्रचलित विधि–सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत है तथा अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी/रिवीजनकर्ता का रिवीजन सुनवाई के पश्चात स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

4– प्रतिपक्षीगण पर नोटिस तामील कराया गया। प्रतिपक्षीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त रिवीजन में न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने दोनो पक्षी की बहस सुनकर दिनांक 20–01–2023 को आदेश पारित किया कि न्यायालय चतुर्थ अपर सिविल जज (जू.डि.) जे.एम., रायबरेली के द्वारा परिवाद सं०–39/2022 मुस्ताक अहमद बनाम नईम अहमद में पारित आदेश दिनांकित 10–08–2022 अपास्त किया जाता है। द्वितीय अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाता है, समस्त साक्ष्य का अवलोकन करके सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मुस्ताक अहमद परिवादी के परिवाद में विधि अनुसार आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त परिवाद न्यायालय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से वापस न्यायालय न्यायिक मजि० द्वितीय, रायबरेली के न्यायालय में सुनवायी हेतु भेजा गया। जहाँ पर अभियोगी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुण दोष के आधार पर आदेश दिनांकित 18–02–2025 दारा परिवाद सं० 757/2023 मुस्ताक अहमद बनाम नईम आदि को धारा 203 दं०प्र०सं० के तहत खारिज कर दिया। न्यायालय में परिवादी द्वारा जो बयान अन्तर्गत धारा–200 द०प्र०सं० एवं गवाहों के अन्तर्गत धारा–202 दं–०प्र०सं० के बयानों में काफी भिन्नता है क्योकि विपक्षी के रूप में विपक्षी संख्या 2 ता 9 के द्वारा परिवादी के घर के अन्दर घुसकर मारपीट करना कहा जाता है, परन्तु परिवादी को किसी प्रकार की चोट नहीं आयी, परिवादी स्वयं अपने बयान में कहता है कि उसके बेटे इमरान अहमद को भी विपक्षीगण ने लात, घूतो से मारा पीटा परन्तु इमरान अहमद को भी किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं आयी। प्रथम दृष्ट्या जब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई घटना कारित की जाती है। परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० के बयान में त्वयं कहा गया है कि मैंने डाक्टर को

नही दिखाया था जबकि उसका बेटा इमरान अहमद जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, उसने अपने बयान में कहा है कि मैंने पिता को डाक्टर को दिखाया था, फुरसतगंज पी. एच. सी. में पर्चा नहीं दिया गया, और इस बात को स्वीकार किया है कि विपक्षी संख्या–3 से घर की जमीन का दीवानी विवाद है। इसी बात को लेकर रजिश है तथा उसी रंजिश के चलते यह परिवाद दायर किया गया है। परिवादी के दूसरे गवाह ताहिर ने कहा कि 08 लोगो ने मिलकर घर के अन्दर मुस्ताक को मार रहे थे, और घर का गेहू बिखेर दिया, मुस्ताक फिर डाक्टर के पास चले गये थे, जबकि मुस्ताक का कथन है कि वह डाक्टर के पास नही गया। इस प्रकार गवाह एवं परिवादी के बयानो में भिन्नता है। अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2025 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, आदेश दिनांकित 18–02–2025 विधि सम्मत है। अवर न्यायालय ने परिवादी, उसके गवाहों के बयानो को तथा परिवाद मैं वर्णित कथनो का सम्यक परि–शीलन करके आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानी तथ्यहीन, बलहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

5– निगरानीकर्ता एवं प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निगरानी पत्रावली, प्रश्नगत आदेश एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/परिवादी के द्वारा परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया था कि, "घटना दिनांक 04.01.2022 की शाम 4.00 बजे की है। मैं खेत से लौटा था तभी मेरे घर के दरवाजे पर नईम खां, अमीन, यासीन, नाजिम, जुबैर, सोहेल, जुनेद व चन्दू सभी लोग एक परिवार के हैं आये और मुझे पुरानी रंजिश को लेकर गन्दी गन्दी गालियां देने लगे। मैंने मना किया तो नईम ने कहा मारो साले को तो फिर मैं डर के घर में घुस गया तो पीछे ये लोग भी घुस गये और मुझे लात–घूंसों से मारा पीटा। मेरा बेटा बीच बराव कराने आया तो उसे भी मारा। मेरे बेटे का नाम इमरान है। मेरे घर का सामान तोड़ दिया। जैसे कूलर, अलमारी, घर के बर्तन, अनाज बिखेर दिया। फिर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गये तो जाते समय सभी लोग मुझे व मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी। थाने गये। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पुलिस अधीक्षक को लिखा कोई सुनवाई नहीं हुई।"

7– निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में निगरानी कर्ती/परिवादिनी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा–200 के अंतर्गत स्वयं को परीक्षित कराया गया तथा दं०प्र०सं० की धारा–202 के अंतर्गत इमरान अहमद एवं ताहिर को परीक्षित कराया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्यों में छाया प्रति पर्चा सुलोचन आई० हास्पिटल बाम्बे सूची अब्दुल नईम शाह दिनांकित 04.01.2022, डा० अजीत एस० एडमल आई० सरजन की छाया प्रति, डिस्चार्ज स्लिप मो० अमीन खां दिनांक 16.12.2017 से 22.12.2017 तक छायाप्रति, उपस्थिति सर्टीफिकेट माह जनवरी 2022 नाजिम खां द्वारा टेक्नोशील इनोवेशन प्रा० लि० की छाया प्रति, उपस्थिति सर्टी–फिकेट जुबैर खांन दिनांकित 04.01.2022 टेक्नोशील इनोवेशन प्रा०लि० की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

8– विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से विपक्षीगण एवं निगरानीकर्ता/परिवादी के मध्य पूर्व से रंजिश होना स्पष्ट है। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने बयान अं० धारा–200 दं०प्र०सं० में आठ विपक्षीगण द्वारा मिलकर स्वयं को लात–घूसों से मारे–

पीटे जाने एवं बीच–बचाव में आये उसके बेटे को मारने का कथन किया गया है जबकि निगरानीकर्ता /परिवादी को आई चोटों के सम्बन्ध में कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 इमरान अहमद (परिवादी का पुत्र) द्वारा अपने बयान में उसके चिल्लाने पर माँ व भाभी परवीन व सीमा द्वारा उपरोक्त कथित घटना में बीच–बचाव किये जाने का कथन किया गया है, साक्षी पी०डब्लू०–2 ताहिर खां द्वारा साक्ष्य अंकित कराते हुए गांव के लोगों के द्वारा कथित घटना में बीच–बचाव किया जाना बताया गया है तथा विपक्षीगण व परिवादी के मध्य जमीन को लेकर पुरानी रंजिश होने का कथन किया गया है। उपरोक्त समस्त से साक्षीगण द्वारा परस्पर विरोधाभाषी साक्ष्य दिये जाने के कारण कथित घटना संदिग्ध हो जाती है।

9– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा की गई उक्त समीक्षा एवं अवर न्यायालय की पत्रावली में दाखिल समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों के परिशीलन से प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा अपराध कारित होना स्पष्ट नहीं होता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्ण रूप से विधिक होना पाया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

10– अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.02.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त होने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं०–162/2025, मुस्ताक अहमद बनाम नईम आदि निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–18.02.2025 पुष्ट किया जाता है।

निगरानी न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही दाण्डिक निगरानी पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–31.03.2026

(श्रीमती प्रतिमा)
जे.ओ. कोड–UP02637
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आशुलिपिक
आर्यन पटेल

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2026.04.01 10:55:24 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court, Raebareli